

संख्या :- 17-आवंटन(स्था0-0101)-89/2019.....²⁶⁴.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
पटना, मुंगेर, शेखपुरा, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा,
सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, कटिहार, नालन्दा,
मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जमुई, भागलपुर,
सारण, सिवान, गया।

पटना, दिनांक : 12-02-2020

विषय :-

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

CFMS Allotment Order No. 9698 & 9699 Date 06.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपके कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद में 28136000/- (अनुलग्नक 'क') एवं वेतनादि से भिन्न मद में 18785650/- (अनुलग्नक 'ख') अर्थात् कुल - 4,69,21,650/- (चार करोड़ उनहत्तर लाख एककीस हजार छः सौ पचास) रुपये मात्र का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 में होने वाले व्यय हेतु की जाती है। बकाया वेतनादि एवं अन्य मद में भुगतान हेतु अलग से राशि आवंटित की जाएगी।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/मांग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।
6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :- ('क' एवं 'ख') तथा

CFMS Allotment Order No. 9698 & 9699 Date 06.02.2020

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(स्था0 -0101)-89/2019...²⁶⁴ पटना, दिनांक 12-02-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(स्था0 -0101)-89/2019...²⁶⁴ पटना, दिनांक 12-02-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन (विश्वसरैया भवन), पटना, कोषागार मुंगेर, शेखपुरा, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, कटिहार, नालन्दा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जमुई, भागलपुर, सारण, सिवान, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(स्था0 -0101)-89/2019...²⁶⁴ पटना, दिनांक 12-02-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

अनुलग्नक 'क'

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि का आवंटन :-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01.01 वेतन	01.03 जीवन यापन भत्ता	01.04 मकान किराया भत्ता	01.05 परिवहन भत्ता	01.06 चिकित्सा भत्ता	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	1100000	200000	176000	30000	20000	1526000
2	शेखपुरा	1800000	100000	180000	0	40000	2120000
3	खगड़िया	500000	85000	50000	0	20000	655000
4	लखीसराय	3000000	510000	300000	50000	40000	3900000
5	बेगूसराय	3000000	510000	300000	50000	40000	3900000
6	सहरसा	500000	85000	50000	0	10000	645000
7	सुपौल	1800000	510000	180000	0	40000	2530000
8	मधेपुरा	500000	85000	50000	0	10000	645000
9	किशनगंज	500000	85000	50000	0	10000	645000
10	अररिया	500000	85000	50000	0	10000	645000
11	नालन्दा	3000000	510000	300000	50000	40000	3900000
12	मुजफ्फरपुर	150000	20000	15000	20000	10000	215000
13	जमुई	1800000	510000	180000	0	40000	2530000
14	भागलपुर	500000	50000	50000	10000	10000	620000
15	सारण	300000	85000	30000	10000	10000	435000
16	राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	300000	30000	30000	0	10000	370000
17	बाँका	1800000	400000	180000	0	40000	2420000
18	दरभंगा	300000	85000	30000	10000	10000	435000
	कुल योग :-	21350000	3945000	2201000	230000	410000	28136000

(दो करोड़ एककासी लाख छत्तीस हजार रुपये)

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

अनुलग्नक 'ख'

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि का आवंटन :-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	02 01 मजदुरी	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दुरमाष	13 04 विद्युत प्रसार	13 06 वर्दी/पोशाक	13 10 माड़े की यात्री का भुगतान	14 01 कर किराया एवं महशूल	52 01 मशीने उपस्कर	28 02 संचिदा सेवारत	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	पटना	-	-	-	-	-	-	-	40000	-	180000	220000
2	मुंगेर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1908000	1908000
3	शेखपुरा	-	-	-	-	-	10000	150000	-	-	600000	760000
4	खगड़िया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1080000	1080000
5	लखीसराय	150000	300000	50000	10000	100000	10000	-	-	-	700000	1320000
6	बेगूसराय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504000	504000
7	सहरसा	50000	-	500000	-	200000	-	-	-	50000	600000	1400000
8	सुपौल	1000000	241650	-	-	-	-	-	-	-	540000	1781650
9	मधेपुरा	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	0	5000
10	पूर्णिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180000	180000
11	किशनगंज	-	300000	-	-	-	-	-	-	-	0	300000
12	अररिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180000	180000
13	कटिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180000	180000
14	नालन्दा	18000	200000	-	-	30000	-	-	-	-	3700000	3948000
15	मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180000	180000
16	पूर्वी चम्पारण (भोतीहारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180000	180000
17	जमुई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180000	180000
18	भागलपुर	65000	-	300000	-	30000	-	288000	-	50000	0	733000
19	सारण	20000	-	30000	-	60000	-	-	-	-	3276000	3386000
20	सिवान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180000	180000
21	गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180000	180000
कुल योग :-		1303000	1041650	880000	10000	425000	20000	438000	40000	100000	14528000	18785650

(एक करोड़ सत्तासी लाख पच्चासी हजार छः सौ पचास रूपया मात्र)

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण